न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 55 / 2017

अपीलार्थीगण–

1. खूमाराम पुत्र मघाराम फोत के कायम मुकाम
1.1 चूनाराम पुत्र खूमाराम
2. मोटाराम पुत्र मघाराम
3. आईदानराम पुत्र मघाराम

जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –

राजस्थान राज्य जरिये

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. तहसीलदार धोरीमन्ना
3. खेताराम पुत्र विरदाराम
4. जैसाराम पुत्र रूपाराम
5. लाखाराम पुत्र मोतीराम
6. जेठाराम पुत्र जेताराम
7. सिमरथाराम पुत्र किस्तुराराम

जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 130 स्वीकृति आदेश दिनांक 22.05.2012 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री केसराराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3से7 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 01 / 10 / 2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा नामान्तरकरण सं. 130 पारित आदेश दिनांक 22.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा राजपुरा के खसरा नम्बर 64 व 126 रकबा क्रमशः 139–04 व 36–09 बीघा में से रकबा क्रमशः 00–15 व 00–04 बीघा भूमि खातेदारान खूमा, मौटा, आदू पि0 मघा कौम जाट सा0 देह ने निःशुल्क राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण करने पर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांकः राजस्व/2011/2302–04 दिनांक 30.09.2011 के द्वारा समर्पित भूमि राज्य सरकार के खाते मे इन्द्राज करने का आदेश हल्का पटवारी अरणियाली को जारी किया गया। इस आदेश के अनुसरण मे हल्का पटवारी अरणियाली द्वारा नामान्तरकरण सं. 130 दायर कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण को आदेश दिनांक 23.05.2012 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया। दौरान सुनवाई अपील रेस्पोडेंट सं. 3से7 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–01, नियम–10 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रकरण मे आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार बनाने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अपीलार्थीगण द्वारा खेत खसरा नम्बर 64 में से रास्ते हेतु 00–15 बीघा भूमि राज्य सरकार को समर्पित की गई थी। उक्त भूमि समर्पण के पश्चात अपीलार्थीगण के साथ–साथ प्रार्थीगण द्वारा भी रास्ते के रूप मे आवागमन हेतु उपयोग मे ली जा रही हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मे हितबद्ध होने से जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से उक्त प्रार्थीगण किसी प्रकार से हितबद्ध नहीं हैं तथा न ही सेढा–पडौसी होने से प्रभावित हैं। उभय पक्षकारान के द्वारा प्रकट तथ्यों एवं प्रकरण मे गुणावगुण पर विवेचन उपरांत प्रार्थीगण खेताराम व अन्य आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हे रेस्पोडेंट सं. 3से7 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया जाता हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 व 126 रकबा क्रमशः 138–09 व 36–05 बीघा का आया हुआ हैं। खेत खसरा नम्बर 126 में से रास्ते हेतु 00–04 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पित की गई, जिस पर अपीलांट्स स्वयं अनपढ़ होने के कारण तत्कालीन हल्का पटवारी को साथ ले जाकर समर्पण पत्र तैयार करवाया गया जिस पर हल्का पटवारी ने समर्पण पत्र मे

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरा नम्बर 126 के साथ खसरा नम्बर 64 में से 00–15 बीघा भूमि समर्पण करने का समर्पण पत्र निष्पादित करवाकर पंजिबद्ध करवा दिया तथा समर्पण पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 130 खोलकर दिनांक 22.05.2012 को उत्तरदाता सं. 1 से स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करवा दिया। वर्तमान मे ग्राम पंचायत अरणियाली द्वारा अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 64 में से रास्ता निकालने हेतु आमादा हुए तो हल्का पटवारी से सम्पर्क कर पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि खसरा नम्बर 126 के साथ ही खसरा नम्बर 64 में से भी राज्य सरकार के पक्ष मे भूमि समर्पण हुई हैं। इस पर उक्त समर्पण आदेश एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित नकलें प्राप्त कर जानकारी होने पर अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा खसरा नम्बर 64 मे से किसी प्रकार का राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण नहीं किया गया हैं तथा मौके पर भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग में नही आ रही है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट्स को धोखे मे रखकर समर्पण करवाया है तथा इसके आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 130 स्वीकृत करवाया है जो अपास्त योग्य हैं।

5. रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण द्वारा स्वंय उपस्थित होकर खसरा नम्बर 64 एवं 126 में से रकबा क्रमशः 00–15 व 00–04 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष मे बिना शर्त समर्पण की गई हैं। उक्त समर्पण विलेख एवं संलग्न नक्शा में स्वंय अपीलांट्स ने हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। अपीलांट्स द्वारा उक्त समर्पण विलेख को चुनौती दिये बिना, नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई हैं तो चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेंट सं. 3से7 के योग्य अधिवक्ता ने भी जवाब मे निवेदन किया कि अपीलांट्स का खेत खसरा नम्बर 64 रकबा 138–09 बीघा नहर से लगता हैं तथा दूसरा खसरा नम्बर 126 उक्त खसरे से काफि दूर पड़ता हैं तथा दोनो खसरों के बीच रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि आती हैं। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स ने मिल बैठकर समझौता किया कि अपीलांट खसरा नम्बर 64 में से रास्ते हेतु भूमि समर्पित करवा दे तथा रेस्पोडेंट अपने खसरा नम्बर 68, 68/10, 68/09, 61,129, 120 व अन्य खसरों में से भूमि समर्पित करवा कर अपीलार्थी के खसरा नम्बर 126 में से पडौसी खातेदार को रास्ते हेतु भूमि समर्पित करवा दें। इस समझौता अनुसार पक्षकारान ने

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपनी–अपनी खातेदारी भूमि मे से एक दूसरे के खेतों को जोड़ने हेतु भूमि समर्पित करवा दी तथा अपीलार्थी द्वारा समर्पित करवाई गई भूमि का नामान्तरकरण सं. 130 पारित किया गया। पक्षकारान द्वारा समर्पित करवाई गई भूमि का मौके पर रास्ते के रूप मे उपयोग हो रहा है किन्तु मई 2017 मे अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण अपीलांट्स द्वारा रास्ते हेतु समर्पित भूमि पर अतिक्रमण कर स्थायी रूप से बंद कर दिया। अपीलांट खूमाराम शिक्षक है तथा ग्राम पंचायत अरणियाली का सरपंच भी रह चुका है तथा अपीलांट आईदानराम भी साक्षर व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपीलार्थीगण की यह अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं समर्पण विलेख यथावत बहाल रखे जाने का आदेश जारी किया जावें।

7. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा राजपुरा के खसरा नम्बर 64 व 126 रकबा क्रमशः 139–04 व 36–09 बीघा में से रकबा क्रमशः 00–15 व 00–04 बीघा भूमि खातेदारान खूमा, मौटा, आदू पि0 मघा कौम जाट सा0 देह ने निःशुल्क राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण करने पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांकः राजस्व/2011/2302–04 दिनांक 30.09.2011 के द्वारा समर्पित भूमि राज्य सरकार के खाते मे इन्द्राज करने का आदेश हल्का पटवारी अरणियाली को जारी किया गया। इस आदेश के अनुसरण मे हल्का पटवारी अरणियाली द्वारा नामान्तरकरण सं. 130 दायर कर स्वीकृति हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण को आदेश दिनांक 23.05.2012 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि नामान्तरकरण सं. 130 में अंकित समर्पण विलेख रेकर्ड पर नहीं होने से यह नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की गई हैं जबकि तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा समर्पण स्वीकृति आदेश एवं उसके संलग्न समर्पण नक्शा की प्रति प्रस्तुत की गई हैं। इस समर्पण नक्शा में अपीलांट्स खूमाराम, आईदानराम व मोटाराम के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा खसरा नम्बर 64 व 126 दोनो का नजरी नक्शा अंकित करते हुए समर्पित भूमि को दर्शाया गया हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण का प्रथम तो यह कथन मानने योग्य नही हैं कि समर्पण विलेख नहीं है इसके अलावा अपीलांट्स का यह भी कथन मानने योग्य नही हैं कि वे

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अनपढ़ व्यक्ति होने से उन्हे हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा सम्पन्न समर्पण कार्यवाही का ज्ञान नही रहा हैं। हस्तगत अपील के द्वारा अपीलांट्स ने केवल खसरा नम्बर 126 में से ही भूमि समर्पण करना स्वीकार किया गया है जबकि खसरा नम्बर 64 व 126 का एक साथ समर्पण किया गया हैं तथा इस अपील के द्वारा समर्पण विलेख को अपास्त करने की कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई हैं ऐसे मे समर्पण विलेख को चुनौती दिये बिना इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य प्रतीत होती हैं। रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलकर्तागण द्वारा समर्पित भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हेतु अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन आदेश किसी भी दशा मे विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 130 यथावत बहाल रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर राजस्थान

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)